Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need for administrative reforms in the country.

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधारों की ओर आकर्षित कर अपने सुझाव रखना चाहूंगा। प्रशासन हमारे जीवन का अहम पहलू है। आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती है और प्रशासन अंचल बना हुआ नहीं रह सकता। इसे आवश्यक रुप से परिवेश के अनुसार बदलना सरकार का दायित्व है ।

सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के संबंध में अनेकों कदम उठाए गए हैं, जिस कारण हमारे सरकारी संगठनों व मंत्रालयों की कार्यों सेवाओं में गुणवत्ता व भ्रष्टाचार में कमी आई है और विश्व में व्यवसाय करने में भारत ने 30 अंकों की छलांग मारी है। लेकिन आज भी हम 100वें नंबर पर हैं। प्रशासनिक सुधारों के संबंध में हमें बड़े व ठोस कदम उठाने की जरुरत है।

समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग हमारे अनेकों विभागों में आयोग ने सुधार की सिफारिशें सरकार के सामने रखी हैं लेकिन अधिकतर सिफारिशों की दिशाओं में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

पिछले 5 वर्षों में देश में सरकारी संस्थाओं में नौकरियों की निरंतर कमी देखी गई है। सरकार ने लोक सभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि देश में केन्द्रीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की भारी कमी है। कर्मचारियों की भर्ती, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने, समय-समय पर प्रशिक्षण करवाने, उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार इत्यादि के बारे में आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनाया नहीं गया है।

कृषि विभाग, बैंकिंग सेवायें, रेलवे, एयर इंडिया व अन्य केन्द्रीय संस्थाएं/विभाग कुप्रबंध के कारण घाटे में चल रही हैं। इन विभागों में ठोस प्रशासनिक सुधारों की अत्यधिक जरुरत है।

पुलिस राज्य व्यवस्था का एक अहम अंग है। पुलिस सुधार पर लंबे समय से संवाद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर निर्देश दे चुका है लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की गई है। देश में अपराध प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस कर्मचारियों की संख्या, उन्हें दिये जाने वाले हथियार व अन्य आवश्यक सुविधाओं में कमी देखी जा रही है।

प्रशासनिक सुधार के अभाव में देश में अपराध, महिला, अत्याचार, दलित अत्याचार, सामूहिक हिंसा आदि में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बावजूद भी न्यायपालिका व न्यायाधीशों की कमी एक गंभीर विषय है। जिला स्तरों पर न्यायाधीशों की अत्यधि कमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित रिक्तियों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर नियुक्ति के आदेश दिये थे लेकिन प्रशासन व उच्च न्यायालय में समन्वय के कारण नई नियुक्तियों में देरी हो रही है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार व उच्च न्यायालयों में समन्वय बनाने के लिए उचित कदम उठाना बेहद जरुरी हो गया है।

केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती, कर्मचारियों व सेवा के लाभार्थियों के हितों का ध्यान, पुलिस सुधार की दिशा में कदम, न्यायपालिकाओं की पूर्ति व न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार समय की मांग हैं। इन्हें हासिल करने में जल्द ठोस कदम उठाने की जरुरत है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाये।